संख्या–1833 / I(2)/2018–06(2)–40/2006

प्रेषक

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषयः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) का गठन एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, (मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून के पत्र संख्या–1623–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/SPO(HR)/सर्तकता, दिनांक 14–02–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) का गठन करते हुए उक्त सैल हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार कुल–08 अस्थाई पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद के विरूद्व वास्तविक नियुक्ति होने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–02–2019 तक के लिए इस शर्त कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	नयी वेतन संरचना (Pay Matrix)
1	2	5	7
1.	डी0आई0जी0/एस0एस0पी0	01	लेबल–12 प्रारम्भिक 78800 अंतिम 208200 (अपने संवर्ग के अनुसार)
2.	डिप्टी एस0पी0	01	लेबल–09 प्रारम्भिक 53100 अंतिम 167800 (अपने संवर्ग के अनुसार)
3.	इंस्पेक्टर	02	लेबल–08 प्रारम्भिक 47600 अंतिम 151100 (अपने संवर्ग के अनुसार)
4.	सब इंस्पेक्टर	04	लेबल–07 प्रारम्भिक 44900 अंतिम 142400 (अपने संवर्ग के अनुसार)

1. सृजित पदों पर तैनाती पुलिस/गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
2. पदधारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर प्रस्तावित आदेशों के अनुरूप अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होगें।
3. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) का मुख्य कार्य विद्युत चोरी का पता लगाना, उन क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करना जहां पर ट्रान्सफार्मर व तार चोरी की ज्यादा घटनायें हो, ट्रासफार्मर एवं कन्डक्टरों का भौतिक

सत्यापन, विद्युत मीटरों में गलत हार्स पावर रेटिंग को चैक करना, अनाधिकृत विद्युत लाईनों के विस्तार को चैक करना एवं प्रवर्तन दल द्वारा आसूचना संकलित कर घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि एवं एलएमवी–09 विधाओं के अन्तर्गत विद्युत चोरी पकड़ना होगा।

4. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस/गृह विभाग से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं अन्य प्रकरणों पर प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि द्वारा संस्तुति/रिपोर्ट प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा को प्रेषित की जायेगी, जिस पर प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्तिम निर्णय लेते हुए अनुशासनात्मक/ विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) के कार्यो का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम–3 के अन्तर्गत कार्य बंटवारा के आधार पर सक्षम स्तर का होगा।
6. उक्त सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) में लिपिकीय संवर्ग से सम्बन्धित कार्य निगम में पूर्व में सृजित लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्त कार्मिकों से सम्पंन्न कराया जायेगा जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होगें।
7. उक्त पद धारकों पर आने वाला व्यय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आन्तरिक संसाधनों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–162/वित्त अनुभाग–7/2018,दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या– / I(2)/2018–06(2)–40/2006, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक, देहरादून।
5. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. वित अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।